2025:CGHC:23122

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1999/2022

1– कार्मेल विद्यालय, द्वारा–प्राचार्य, नमनकला, अम्बिकापुर, जिलाः सरगुजा, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1–छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग सचिवालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2– कलेक्टर, जिला कलेक्टोरेट, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

3– जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2034/2022

1– मोंटफोर्ट विद्यालय अम्बिकापुर द्वारा–प्राचार्य, सरगवां पोस्ट, सकालो, अम्बिकापुर, जिला: सरगुजा (अम्बिकापुर), छत्तीसगढ़

–––याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1–छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, सचिवालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

2– कलेक्टर जिला कलेक्टरेट, अम्बिकापुर, जिला: सरगुजा (अम्बिकापुर), छत्तीसगढ़

3– जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर, जिला: सरगुजा (अम्बिकापुर), छत्तीसगढ

–––उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2017/2022

1– होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, द्वारा–प्राचार्य, पी.ओ. अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

–––याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, सचिवालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2– कलेक्टर, जिला कलेक्ट्रेट, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

3– जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री के.आर. नायर, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से : सुश्री पूर्वा तिवारी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर आदेश

11/06/2025

उपरोक्त रिट याचिकाएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें उत्प्रेषण रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है तथा दिनांक 18.04.2022 के आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित करने का अनुरोध किया गया है तथा निम्नानुसार अनुतोषों की प्रार्थना की गई है:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> 10.1. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इस प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख उत्तरवादी के कब्जे और अभिरक्षा से परीक्षण हेतु मंगवाने की कृपा करें।
>
> 10.2 यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय दिनांक 18.04.2022(अनुलग्नक पी/1)के आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित/ अपास्त करने की कृपा करें।
>
> 10.3. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देश देने की कृपा करे कि वे याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई न करें जो मनमाना,भेदभावपूर्ण और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत हो।
>
> 10.4.यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष जो इस न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझा जाए प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण का तथ्यात्मक सार यह है कि याचिकाकर्ता अंग्रेजी माध्यम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनकी स्थापना और प्रबंधन अम्बिकापुर में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाता है और ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत एक सोसाइटी द्वारा संचालित हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध है। यह संबद्धता दिनांक 31.03.2023 तक वैध है। याचिकाकर्तागण के विद्यालय गैर–अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं और इन्हें राज्य या केंद्र सरकार या उनके किसी अन्य संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है और ये एक स्व–वित्तपोषित विद्यालय हैं। ये विद्यालय स्वयं द्वारा जुटाई गई धनराशि से अपना कामकाज चलाते हैं और इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.04.2007 के आदेश क्रमांक 59/2007 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 की धारा 2 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विद्यालयों पर लागू नहीं होगा। अधिनियम, 2020 की धारा (2) 1 निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 1. अशासकीय विद्यालय से अभिप्रेत है ऐसा विद्यालय, जिसके फीस का निर्धारण, छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार की किसी संस्था द्वारा न किया जाता हो: परन्तु यह कि उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित विद्यालय शामिल नहीं होंगे;

3. अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम, 2020 दिनांक 28.09.2020 को पारित और लागू हुआ तथा सम्पूर्ण राज्य में लागू है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान याचिकाकर्तागण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये गैर–अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट व अन्य विरुद्ध भारत संघ 2014(8) एससीसी 1** में प्रकाशित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था। अतः जिला शिक्षा अधिकारी के पास न तो छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के अधीन और न ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन निर्देश जारी करने का कोई अधिकार है।

4. याचिकाकर्तागण/विद्यालयों के अनुसार, ये अम्बिकापुर जिले के कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनमें एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान के लिए सभी प्रकार की आधुनिक बुनियादी सुविधाएँ और वातावरण आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि विद्यालयों के उचित रखरखाव और उपलब्ध बुनियादी ढाँचे के लिए,

साथ ही इन निजी संस्थानों में कार्यरत शैक्षिक तथा अशैक्षिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का समय पर संदाय किया जाना आवश्यक है, इसलिए विद्यालयों को उनके विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से फीस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए गए व्यय का वृहद भाग विद्यार्थियों से एकत्रित विद्यालय शुल्क/ट्यूशन फीस से वसूल किया जाता है।

5. ज़िला शिक्षा अधिकारी ने व्यय में सर्वांगीण वृद्धि को भली–भांति जानते हुए, दिनांक 18.04.2022 को आदेश जारी किया कि अधिक एकत्रित फीस विद्यार्थियों को वापस की जाए याचिकाकर्तागण/विद्यालयों को पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये निर्देश केवल अम्बिकापुर के ईसाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जारी किए गए हैं, अम्बिकापुर के अन्य अशासकीय विद्यालयों को नहीं। इसी प्रकार, अन्य जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने किसी भी विद्यालय को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश और वर्तमान याचिकाओं में आक्षेपित आदेश, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 की धारा 2 में निहित प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः याचिकाकर्तागण/विद्यालयों द्वारा ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश जारी करने में उत्तरवादीगण की कार्रवाई बिना किसी विधिक प्राधिकार और बिना किसी आधार या औचित्य के है। उनका तर्क है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन, 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के लागू होने से छूट प्राप्त है और जिला शिक्षा अधिकारी के पास विद्यार्थियों से फीस लेने और वसूलने के प्रकरण में विद्यालय प्रबंध समिति के निर्णय पर कोई नियंत्रण रखने की शक्ति, प्राधिकारी या अधिकारिता नहीं है। उनका तर्क है कि जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और याचिकाकर्तागण/विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करना 2020 के अधिनियम और 2009 के अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसलिए यह तर्कपूर्ण नहीं है और इसे अपास्त किया जाए। उनका तर्क कि वर्तमान याचिकाओं में जारी आदेश **प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध भारत संघ (पूर्वोक्त)** प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत जारी किया गया है और इसलिए इसे अपास्त किया जाए।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि निजी गैर–अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, स्थापना व्यय, भवनों के किराए, वाहन रखरखाव, कर्मचारियों के ईएसआई, ईपीएफ आदि पर भारी व्यय करना पड़ता है, जो अभूतपूर्व है। दिनांक 18.04.2022 को जारी आदेश का प्रयोजन अभिभावकों पर बोझ को कम करना है, क्योंकि उन्हें इन निजी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली भारी फीस का संदाय करना पड़ता है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया। उत्तरवादी क्रमांक 3/जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा जारी दिनांक 18.04.2022 का आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है और इस कारण अपास्त किए जाने योग्य है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने एक व्यापक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय के दिनांक 09.07.2020 के रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1040/2020 में पारित आदेश का उल्लंघन होता है तो इन विद्यालयों पर भारी जुर्माना या शास्ति अधिरोपित किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त रिट याचिका में, इस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि चूँकि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1)कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान जारी किया गया था, अतः यह छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 की धारा 2 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्तागण पर लागू नहीं होगा। चूँकि याचिकाकर्तागण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा 2(छ) के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं। शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2004 के अधीन, याचिकाकर्तागण को 2020 के अधिनियम से छूट प्राप्त है और इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 3 को आदेश(अनुलग्नक पी/1) पारित करने का कोई अधिकार नहीं है । याचिकाकर्तागण का तर्क यह है कि उन्हें संकट के समय में अपने विद्यार्थियों से फीस लिए बिना ही व्यय करना पड़ता है, यह समझ में आता है, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश इन निजी विद्यालयों को बाध्य करता है और जब तक यह लागू रहता है, वे इसमें निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। राज्य के अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है और इस प्रकार इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि ये गैर–अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं और ये शिक्षण, गैर–शिक्षण और अन्य कर्मचारियों के भरण–पोषण के लिए एकत्रित ट्यूशन फीस पर काफी हद तक निर्भर हैं, जो पूर्णतः गैर–अनुदान प्राप्त हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें विद्यालय के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विद्युत शुल्क और सुरक्षा एजेंसियों के संदाय पर भी व्यय करना पड़ता है और इस न्यायालय के अभिमत में यह न्यायसंगत प्रतीत होता है कि ऐसी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु, इन विद्यालयों को अपने संस्थानों के रखरखाव हेतु प्रयत्न करना होगा।

9. उपर्युक्त अवलोकन सहित, याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं तथा दिनांक 18.04.2022 को जारी आक्षेपित आदेश(अनुलग्नक पी/1) को अभिखण्डित/अपास्त किया जाता है।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur